शीर्ष प्राथमिकता।

संख्याः 260 /XXVIII-3-2011-213/2001

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 **देहरादूनः दिनांक 30 मार्च, 2011**

विषयः- सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 एवं सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन की अधिसूचना दिनांक 08.12.2009 द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) एवं केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34 वर्ष 2003 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त अधिनियम की संगत् धाराओं की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 23.02.2010 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा विभाग के कार्यालयों को धूम्रपान तथा तम्बाकू रहित क्षेत्र घोषित किया गया है। शासन की अधिसूचना दिनांक 27.09.2010 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय के सम्पूर्ण परिसर, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित शैक्षिक संस्थाओं एवं शासकीय व अशासकीय कार्यालयों को गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित करते हुये इसे दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र को सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद की बिक्री से भी प्रतिबन्धित किया गया है एवं शासन के पत्र दिनांक 09.08.2010 द्वारा प्रदेश स्थित होटल/रेस्टोरेन्टों पर हुक्का-पान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

संख्या-420/XXVIII-3-2009-213/2001, दिनांक 08.12.2009
संख्या-174/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 23.02.2010
संख्या-699/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 09.08.2010
संख्या-यू0ओ0-79/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 27.09.2010

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सचिवालय के सम्पूर्ण परिसर, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित शैक्षिक संस्थानों एवं शासकीय/अशासकीय कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों जिन्हें उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित करते हुये दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस पर भारत सरकार द्वारा भी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

3. अतः अनुरोध है कि गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित स्थानों पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध ₹ 200/- तक के जुर्माने से दण्डित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधीनस्थ विभागों को निर्देशित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या: 260 /XXVIII-3-2011-213/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें:-

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड, 12 सुभाष रोड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
अपर सचिव।